प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्तक सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्कररण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 13 दिसंबर, 2023**

विषयः- वित्तीपय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या -10 के अन्त र्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्त र्गत पुनर्विनियोग के माध्यमम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-76/बजट/2023-24 दिनांक 14.11.2023 के सन्दर्भ में वित्त विभाग के पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति संख्या-आर0ई0-बजट-1-211/ई-1/दस-2023, दिनांक-05.12.2023 पृष्ठांकन संख्या-1012/58-2-2021-300(9)/2023 दिनांक-05.12.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के लिये भुगतान मद में अवमुक्त धनराशि रू0-100.00 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04--फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के मानक मद 27-सब्सिडी हेतु धनराशि रू0-56.00 लाख (रूपया छप्पन लाख मात्र)** को पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्य8य नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का औचित्यय/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

6- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

7- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक/वित्ति नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगा।

9- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

10- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

11- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्तर नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क रण विभाग का होगा।

12- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- यह आदेश वित्तू विभाग के शासनादेश संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक: 17.03.2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 56,00,00 (रूपये छप्पन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक: 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-135/2023/1070(1)2023-2600111-002/, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in